पत्रांक–05 / बी02–01–03 / 2011
बिहार सरकार,
शिक्षा विभाग।

प्रेषक,

सुनील कुमार सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक।
निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, बिहार, पटना।
पुस्तकालय अधीक्षक, बिहार, पटना ।
निदेशक, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना ।
निदेशक, के0 पी0 जायसवाल शोध संस्थान, पटना ।
सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी
सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना)
निदेशक, प्राकृत जैन शास्त्र और अहिंसा शोध संस्थान, वैशाली
निदेशक, मिथिला स्नातकोत्तर अध्ययन एवं शोध संस्थान, दरभंगा
निदेशक, जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनैतिक शोध संस्थान, पटना
सचिव, प्रक्षेत्रीय पर्यालोचन अभिलेख समिति,पटना ।
प्राचार्या, राजकीय महिला महाविद्यालय, गर्दनीबाग / गुलजारबाग, पटना
सभी प्राचार्य, राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय
प्राचार्य, मदरसा इस्लामियॉ शमसूल होदा, पटना
निदेशक, अरबी, फारसी शोध संस्थान, पटना।

पटना, दिनांक

विषयः– वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान माह नवम्बर, 2015 तक व्यय की गयी राशि का मिलान के संबंध में।

प्रसंग :– महालेखाकार, (ले0 एवं हकदारी), बिहार, पटना का पत्रांक–1048 दिनांक–21.01.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषय में कहना है कि बिहार वित्तीय नियमावली भाग–1 के नियम–475 के अनुसार प्रत्येक नियंत्री पदाधिकारी का यह दायित्व है कि अपने लेखे का सत्यापन प्रत्येक तिमाही में महालेखकार, बिहार, पटना के कार्यालय से ससमय करा लिया जाय। लेखा का सत्यापन समय से नही करायें जाने पर अधिकाई–व्यय की संभावना बनी रहती है।

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना के पत्रांक–1048 दिनांक–21.01.2016 के आलोक में निदेश दिया जाता है कि अपने अधीनस्थ सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को अपने स्तर से निदेश दिया जाये कि वित्तीय वर्ष 2015–16 के नवम्बर 15 तक योजना / गैर योजनान्तर्गत व्यय की गयी राशि का लेखा मिलान (सत्यापन) दो सप्ताह के अंदर महालेखाकार, (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना से कराना सुनिश्चित करें। लेखा मिलान नहीं होने की स्थिति में इसकी सारी जबावदेही आपकी होगी। वैसे निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जो इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित नहीं करेंगे उनका वेतन रोक दिया जायेगा।

विश्वासभाजन,

ह0 / –
(सुनील कुमार सिंह),
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–   पटना, दिनांकः–

प्रतिलिपिः–निदेशक, (प्राथमिक शिक्षा)/निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)/निदेशक, (उच्च शिक्षा)/निदेशक, (जन शिक्षा)/निदेशक, (शोध एवं प्रशिक्षण/सहायक निदेशक, माध्यमिक शिक्षा कार्यालय बुद्ध मार्ग, पटना/सहायक निदेशक, संस्कृत शिक्षा बोर्ड, बिहार, पटना को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–

(सुनील कुमार सिंह),
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–   पटना, दिनांकः–

प्रतिलिपिः–सभी अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, शिक्षा विभाग/सभी लेखापाल, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ इस अनुरोध के साथ प्रेषित की मुख्यालय स्तर से निकासी की गयी राशि का लेखा मिलान अविलम्ब सुनिश्चित करें।

ह0/–

(सुनील कुमार सिंह),
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–   पटना, दिनांकः–

प्रतिलिपिः–वरीय लेखा अधिकारी, (लेखा एवं ह0) का कार्यालय, बिहार, पटना को उनके पत्रांक–1048 दिनांक–21.01.2016 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–

(सुनील कुमार सिंह),
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 15   पटना, दिनांकः– 10/2/16

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सुनील कुमार सिंह),
सरकार के संयुक्त सचिव